न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 245 / 2016

1 चैन सिंह पुत्र समदर सिंह जाति राजपूत उम्र 65 साल निवासी भोजगढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सोहन सिंह पुत्र श्री समदर सिंह जाति राजपूत निवासी भोजगढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 रघुवीर सिंह पुत्र समदर सिंह जाति राजपूत निवासी भोजगढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 मनोहर कंवर पुत्री समदर सिंह जाति राजपूत निवासी भोजगढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 कनिष्ठ अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5 सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 लैण्ड होल्डर कम उप पंजीयक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 03.07.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमें उनवानी
सोहन सिंह बनाम चैन सिंह आदि मु.नं. 262 / 2013 दावा
बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री होशियार सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—3/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 262/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 221, 223, 232, 284, 459/232 वाके ग्राम भोजगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों जो दावे में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार थे, तथा दावे के अन्य प्रतिवादीगणों को सुनवाई, साक्ष्य का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया। विचारण न्यायालय द्वारा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा भी अमल में नहीं लाई गई। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की घोर अवहेलना की है इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में न तो कोई तनकीयात कायम की गई, न ही पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की गई, जो विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना है जबकि कोई भी वाद प्राथमिक डिक्री किए जाने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पूर्व उसमें पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त वाद में तारीख पेशी दिनांक 20.04.2015 को आगामी पेशी 03.07.2015 नियत की गई थी। जिसमें यह कतई दर्ज नही था कि आगामी पेशी कैम्प कोर्ट पोषाणा के लिए नियत है। विचारण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट पोषाणा में दिनांक 03.07.2015 को उपस्थिति होने बाबत पक्षकारान को कोई नोटिस भी जारी नही किए, न ही इस कैम्प कोर्ट की तारीख पेशी बाबत पक्षकारान को कोई पूर्व सूचना दी गई थी तथा न ही उक्त कथित कोर्ट कैम्प की पेशी को वाद का कोई पक्षकार पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आर्बीट्रेरी रूप रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं होते है। अपीलान्ट के पास विभाजन प्रस्ताव के समय आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत भी प्रस्तुत अपील एक साल के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण किये बिना जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त प्रतिवादीगण की सम्यक तामील कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार पू)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)